

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 36/2013

उनवान

1. श्री अब्दुल रज्जाक पुत्र रोशन खां,
2. श्रीमती अमीना पत्नि इमानुदीन
3. श्री फियाज पुत्र इमानुदीन
4. श्री तोहिद पुत्र इमानुदीन,
5. श्री सोनु पुत्र इमानुदीन प्रार्थी संख्या 3 से 5 नाबालिग पुत्रगण जरिऐ प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती अमीना
6. श्री जमील पुत्र रोशन खां
7. श्री गोरू पुत्र रोशन खां
8. श्री युसुफ पुत्र रोशन खां मृत जरियें वारिसान
- 8/1. फरीदा पत्नी युसुफ
- 8/2. ननू
- 8/3. मुन्ना
- 8/4. सोनू
- 8/5. हुसैन
- 8/6. मुस्कान पि० युसूफ समस्त जातिगण मुसलमान निवासीगण ग्राम अजबा का बाडिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान (राज०)
— प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. श्री असराईल पुत्र श्री अब्दुल रहमान दत्तक पुत्र दीना खां ,
2. श्री अब्दुल रहमानु पुत्र रमजान खां ,
3. श्री अब्दुल गफ्फार पुत्र रमजान खां (अबैट)
4. श्री उमर पुत्र रमजान खां ,
5. श्री अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल हमीद ,
6. श्री सुलेमान पुत्र अब्दुल हमीद ,
7. श्री हारून पुत्र अब्दुल हमीद ,
8. श्री इस्माईल पुत्र अब्दुल हमीद ,
9. श्री जुबेर पुत्र अब्दुल हमीद ,
10. श्री नसरुदीन पुत्र वशीर खां,
11. मुसा पुत्र स्व. कमरुदीन,
12. ईसा पुत्र स्व. कमरुदीन ,
13. जाहिद पुत्र स्व. कमरुदीन समस्त जातिगण मुसलमान निवासीगण ग्राम अजबा का बाडिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान
14. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

— अप्रार्थीगण :- 1, 2 व 4 जरिये अधिवक्ता श्री मसूद परवेज
14 जरिये राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— आदेश :-

दिनांक :- 6/6/24

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी की निम्न आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

पुराना खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
208	0.06	286	0.06
211 मिन	0.06	292	0.06
211 मिन	0.05	294	0.05

आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 92 के मूल खातेदार रमजान, रोशन, दीना, सुवा, सरफराज पि0 बहादुल खां के नाम अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023-26 में दर्ज है। बहादुल खां के 5 लडके है जिनका आराजी मुतनाजा पर बराबर हक व अधिकार है। सभी खातेदार की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण है। दीना खां की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है का गोद पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 असराईल खां है। उक्त आराजी वंकिंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के बजाय गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी नहीं है। आराजी मुतनाजा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की गयी है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सव्य खारिज किया जावे।

प्रकरण विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अबैट किया गया। शेष अप्रार्थी प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 92 चौसाला जमाबंदी में रोशन पुत्र बहादुल खां के नाम थी। प्रार्थीगण का कथन है कि रोशन खं के वारिस वे है। अतः आराजी मुतनाजा पर उनका भी हक व अधिकार है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान श्रेत्रफल के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 92 का कुल रकबा 495-5-0 था। जिसके कई वंकिंग खसरा नम्बर बने है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र वंकिंग खसरा नम्बर 208 व 211 के दस्तावेज पेश किये है। शेष वंकिंग खसरा नम्बर की जमाबंदी पेश नहीं की गयी है। वंकिंग जमाबंदी में वंकिंग खसरा नम्बर 208 रकबा 0-8-0 व 211 रकबा 0-13-0 दीना पुत्र बादल खां के नाम दर्ज है जो नामान्तरण संख्या 193 दिनांक 15.5.2000 पंजीकृत वसीयत से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ। हाल

—3

अधिवक्ता
समीतवाह (अजमेर)

राजस्व अभिलेख में भी अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मात्र चौसाला जमाबंदी के इन्द्राज के आधार पर हाल इन्द्राज को प्रथम दृष्टया चुटीपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। चौसाला जमाबंदी के अन्य कई वर्किंग खसरा नम्बर की स्थिति प्रकरण में स्पष्ट नहीं है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को बिना ठोस कारण पाबंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नियमित प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्ध नहीं होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :- विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नहीं दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा के खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा व्यादेश के लिये कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब से प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन किया है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है।

3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्ध नहीं होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्ध नहीं होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्ध होंगे।

आदेश :- अतः ग्राम बाघसुरी की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

